

321



न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/ 2015

पुनरीक्षण

किशोरनी 1144-I-15

रामसजीवन पुत्र दशरथ ब्रा.

निवासी ग्राम बिल्हरी तहसील चंदला

जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

अमिरती पत्नी लक्ष्मी जाटव

निवासी बिल्हरी तहसील चंदला

जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

मूकेश भार्गव - एडवोकेट
द्वारा आज दि. 21-5-15 को

मूकेश भार्गव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मूकेश भार्गव
21-5-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार चंदला प्रभारी मण्डल बछौन जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 14/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 8.8.12 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, ग्राम बिल्हरी में स्थित भूमि ख.नं. 1694/5 रकवा 0.648 (2.023 हे.) के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदक रामसजीवन का हिस्सा 1/8 अनावेदक अमिरती का हिस्सा 3/8 है। अनावेदक अमिरती ने 5-6 वर्ष पूर्व उक्त भूमि आवेदक के भाई अच्छेलाल पुत्र दशरथ से कय की थी। इस प्रकार अनावेदक

मूकेश भार्गव

25

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-1144-एक/2015

जिला-छतरपुर

रामसजीवन विरुद्ध अभिरत जाटव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चंदला प्रभारी मण्डल बछौन जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>25/2/2019</p>